उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग–9

संख्या 3026 /5–9–07–9(37)/07

लखनऊ : दिनांक : 05 9 2007

कार्यालय–ज्ञाप

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी नागरिकों, विशेषतः निर्धन वर्ग तथा स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित वर्ग, को सुलभ, प्रभावी एवं गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। समुदाय विशेष के निर्धन वर्ग तथा महिलाओं की आवश्यकताओं, हितों एवं अपेक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश संख्या 2752/5–9–06–9(285)/04–टी0सी0–1, दिनांक 16.11.2006 को अतिक्रमित करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर "ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति" का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

1. समिति की संरचना :

1.	ग्राम प्रधान	अध्यक्ष
2.	क्षेत्र की ए0एन0एम0/बे0स्वा0का0 (महिला)	उपाध्यक्ष
3.	संयुक्त प्रान्त पंचायतराज अधिनियम, 1947 के अंतर्गत गठित ग्राम पंचायत की स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति के सभी 6 निर्वाचित सदस्य (जिसमें एक अनुसूचित जाति/जनजाति, एक अन्य पिछड़ा वर्ग तथा एक महिला सदस्य अनिवार्यतः होंगे तथा अन्य 3 ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य होंगे)	सदस्य
4.	स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के प्रत्येक राजस्व ग्राम के प्रत्येक पुरवे के प्रतिनिधि, अन्य महिलाएं एवं क्षेत्रीय विषय विशेषज्ञ (अधिकतम 7)	विशेष आमंत्री
5.	क्षेत्र की "आशा", यदि ग्राम पंचायत में एक से अधिक आशा कार्यरत हैं तो प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा नामित आशा सदस्य सचिव होगी, तथा अन्य आशा समिति की सदस्य होंगी।	सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रियों को बैठक में भाग लेकर अपना अभिमत व्यक्त करने का अधिकार होगा और उनके अभिमत को बैठक के कार्यवृत्त में अभिलिखित भी किया जाएगा किन्तु विशेष आमंत्रियों को बैठक में वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

2. अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण :

प्रदेश की समस्त ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों के गठन के पश्चात इन समितियों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जा सके– अतः अपेक्षित गतिविधियों की जानकारी देने के लिए समिति के सदस्यों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(क्र० पृ० उ०)

3. ग्राम स्वास्थ्य निधि :

ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति वार्षिक (असम्बद्ध अनुदान) रू0 10,000/– हेतु अधिकृत होंगी। यह धनराशि निम्न गतिविधियों हेतु व्यय की जाएगी :–

i. इस धनराशि का उपयोग आवर्ती कोष के रूप में किया जाएगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर जरूरतमंद परिवार के लिए इसमें से धनराशि आहरित की जा सकेगी जिसकी किश्तों में वापसी की जाएगी।

ii. ग्राम स्तरीय जन स्वास्थ्य गतिविधियां – यथा स्वच्छता अभियान, आरोग्यकारी गतिविधियां, Waste & Sewage Disposal Management, स्कूल स्वास्थ्य गतिविधियां, आंगनवाड़ी स्तर की गतिविधियां, परिवार सर्वेक्षण आदि कार्यो का सम्पादन।

iii. असामान्य परिस्थितियों में किसी अति निर्धन परिवार या बेसहारा महिला की स्वास्थ्य सम्बंधी समस्या के निदान हेतु इस कोष का समिति द्वारा उपयोग किया जा सकेगा।

iv. स्थानीय स्तर पर सामुदायिक गतिविधियों के लिए असम्बद्ध अनुदान एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग केवल उन्हीं क्रियाकलापों के लिए किया जाए जो एक से अधिक परिवारों के लाभ के लिए किये जायें। समुदाय के पोषण, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जन स्वास्थ्य संम्बंधी कार्यो के लिए इस फण्ड का उपयोग किया जा सकेगा।

v. ग्राम स्वास्थ्य समिति के फण्ड में प्रत्येक ग्राम द्वारा आर्थिक योगदान दिया जा सकता है। ऐसे गांवों में जहां स्थानीय समुदाय के द्वारा ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के रू0 10,000/– के असम्बद्ध अनुदान में आर्थिक योगदान किया गया है, ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सहायता एवं प्रोत्साहन दिये जाने पर भी विचार किया जा सकता है। असम्बद्ध अनुदान का उद्देश्य स्थनीय स्तर पर ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित किया जाना है जिनसे ग्रामीण स्तर की जन स्वास्थ्य सम्बंधी जरूरतें पूरी हो सकें।

4. ग्राम स्वास्थ्य निधि के खाते का प्रबंधन :

ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की धनराशि बैंक के खाते में रखी जाएगी जिसका संचालन समिति के अध्यक्ष/ग्राम प्रधान तथा समिति की सदस्य–सचिव, (ए0एन0एम0/बे0स्वा0का0 (महिला) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के आय व व्यय का विवरण सदस्य–सचिव (ए0एन0एम0/बे0स्वा0का0 (महिला) द्वारा एक रजिस्टर में अंकित किया जाएगा। समय–समय पर समिति के सदस्यों द्वारा इस रजिस्टर का निरीक्षण किये जाने के साथ–साथ सामान्य जनता द्वारा भी एक पूर्व निर्धारित तिथि में इस रजिस्टर का अवलोकन किया जा सकता है।

5. समिति का उत्तरदायित्व :

i. प्रत्येक ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के स्तर पर अद्यतन परिवार सर्वेक्षण आंकड़े रखे जाएंगे ताकि मांग जनित कार्यक्रमों के लिए उन्हें उपलब्ध कराया जा सके।

ii. ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति द्वारा की गयी कार्यदाही, व्यय की गयी धनराशि आदि का विवरण जनसामान्य के देखने के लिए एक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा एवं समय–समय पर विभागीय उच्च अधिकारियों द्वारा इसका निरीक्षण किया जाएगा।

iii. ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति द्वारा कराये गये कार्यो के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा की जाएगी।

(कृ० पृ० प०)

iv. ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गठित क्षेत्र पंचायत समिति एवं जिला कार्यान्वयन समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

v. जनपद स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों के द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के क्रियाकलापों का एक डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा।

vi. समिति के अभिलेखों (कार्यवृत्त, रजिस्टर, एजेण्डा रजिस्टर आदि) के रखरखाव का कार्य, ए0एन0एम0/के0स्वा0का0(महिला) के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में "आशा" द्वारा किया जाएगा।

(अरुण कुमार मिश्र)
प्रमुख सचिव

संख्या– 3026 /5–9–07 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें/परिवार कल्याण/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्यजीत ठाकुर)
सचिव

कार्यालय, महा निदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, परिवार कल्याण
परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या–मा0शि0स0/316/वी.हे.से./2007–08/ 5632-37 दिनांक 5–11–07

प्रतिलिपि निम्न को उक्त शासनादेश की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मंडलायुक्त/जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश।
4. समस्त कार्यक्रम अधिकारी परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

(एल0बी0 प्रसाद)
महा निदेशक